बामणी (कोरनोद)

निर्णीत

APP-A
crim-I

2018/00072

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर ~~नियम~~ बालोतरा

प्रार्थी- लालाराम बनाम विप्रार्थीगण मनोहरसिंह

किस्म मुकदमा राजस्व विविध 131, 136 RLR Act नं. 46 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3-4-18	प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री खुशालाराम पटेल ने अन्तर्गत धारा ~~212~~ 131, 136 आर. ~~टी.ए.~~ एल.आर. एक्ट का पेश किया। जिस पर कार्यालय रिर्पोट प्राप्त की, कार्यालय रिर्पोट का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र विविध दर्ज रजिस्टर हो, प्रार्थी/प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस मय प्रार्थना पत्र की प्रति के, जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल जवाब तारीख 25-4-18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
11/5/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प मिरनोद मे पेश हुई। प्रार्थी व विप्रार्थीगण पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे संक्षिप्त रूप से जाहिर किया की ग्राम मिरनोद मे प्रार्थी के खातेदारी पुराने खेत के खसरा नं० 331/1 रकबा 20 बीघा खातेदारी के रूप मे आयी हुई है। जिसके नये खसरा न. 843/331 बने व विप्रार्थी संख्या-1 के ख-न. 331/2 रकबा 15 बीघा, प्रार्थी की खातेदारी की गयी है। जिस पर दोनो पक्षकारान अपने अपने हिस्से मे कब्जा काबिज है	लालाराम

Scanned by CamScanner

...ख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इतातशयल्य जज
	दोनो पक्षकारान उपस्थित ने आवेदन पत्र लोक अदालत मे पेश कर मुकदमा लोक अदालत की भावना से मुकदमा मे राजीनामा करने हेतु निवेदन किया। दोनो पक्षकारान ने जाहिर किया की हम भूमि के विवादित मौके पर दर्शाये गये नक्शे अनुसार काबिज है। हम वर्तमान नक्शे मे उचित तरमीम को निरस्त कर संलग्न परिशिष्ट "ब" मे दर्शाये अनुसार तरमीम की जाए। प्रार्थना पत्र मे संलग्न तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट मे ग्राम सिरतोद के मूल मे ख.क्र. 321 मे तीन बटा है। जिसमे से ख.न. 321 रकबा 50 बीघा किस्म मगरा मुमकिन, ख.न. 841/321 रकबा 15 बीघा, विवादित मनोहरसिंह पु० रामरसिंह, ख.न. 843/321 रकबा 20 बीघा प्रार्थी लाला पुत्र मगना के नाम दर्ज है। मौके पर वर्तमान नक्शा ट्रेस मे तरमीम संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार की गयी है। प्रार्थी के हक मे संलग्न परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम कराना चाहते है। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया दोनो पक्षकारान को सुना गया। तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट व आपसी राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रार्थी का प्रार्थना

Scanned by CamScanner

पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम सिरनोद मे ख० नं० ४५३/३२१ रकबा २० बीघा मे पूर्व तरमीम निरस्त की जाती है। परिशिष्ट "क" के अनुसार तरमीम करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिए जाते है। आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प सिरनोद मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-20
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner